कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनायें:

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने, जन्म निबंधन तथा बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना" वर्ष 2008 में आरंभ की गयी है। योजना बिहार के सभी 544 समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से महिला विकास निगम, बिहार (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के दो कन्या संतान को देय होगा।

योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार की कन्या (0 से 3 वर्ष) के नाम से रू. 2000/– (रूपये दो हजार मात्र) की एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में बैंकों के माध्यम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुक कन्या के 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पश्चात् परिपक्वता राशि देय होगी।

सुकन्या समृद्धि योजना

भारत सरकार की बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।

- ★ 10 वर्ष तक की आयु की बेटी (अधिकतम दो) का खाता खोला जा सकता है।
- ★ न्यूनतम रू. 1000 एवं अधिकतम रू. 1,50,000 वार्षिक जमा किया जा सकता है।
- ★ इस खाते में समय–समय पर अधिसूचित दर से चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज देय। वर्ष 2014–15 में 9.1% की दर से ब्याज।
- ★ धारा 80 सी के तहत इनकम टैक्स में छूट।
- ★ 14 वर्ष तक जमा एवं 21 वर्ष में परिपक्वता।
- ★ 18 वर्ष की आयु में 50 प्रतिशत भुगतान की सुविधा।
- ★ 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह होनें पर खाता बन्द करने की सुविधा।

यह खाता सभी डाकघरों में खोला जा सकता है।

शिक्षित बेटी का मतलब
शिक्षित परिवार एवं शिक्षित राष्ट्र

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
दूसरी मंजिल, इंदिरा भवन, आर. सी. सिंह पथ, बेली रोड, पटना–800 001 (बिहार)
दूरभाष : 0612–2534 096, 2520 695, 2537 843, वेबसाईट : www.wdcbihar.org

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा जनहित में प्रकाशित

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

बेटियां कम होती जा रही है। गिरता लिंग अनुपात परिवार, समाज और देश के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के बीच लिंग अनुपात का राष्ट्रीय अंतर घट कर 918 हो गया है, वहीं हमारे राज्य में यह 933 (2011) है। समस्या गंभीर है और यह दर्शाता है कि जन्म पूर्व लैंगिक भेदभाव कर गर्भ को गिराना और कन्या के जन्म के बाद उसे पूरे जिन्दगी उपेक्षा और नकारात्मक व्यवहार से प्रताड़ित करना निरंतर जारी है। हालांकि हमारी साक्षरता दर बढ़ी है और जीवन स्तर में पहले की तुलना में सुधार आया है, परन्तु लिंग परीक्षण तकनीक का कम खर्च पर सहज उपलब्धता ने कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर अपराध को सामाजिक मान्यता दे दी है। यही लैंगिक अनुपात में निरंतर गहरे होते अंतर का मुख्य कारण है।

यह पितृ सत्तात्मक सोच का ही परिणाम है कि बेटे की चाह, वंश वृद्धि को ही सामाजिक पहचान मान लिया जाता है, इस तरह के सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं ने न सिर्फ बेटियों के प्रति भेदभाव के व्यवहार का पोषण किया है, बल्कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को भी बढ़ावा दिया है। लैंगिक अनुपात में बढ़ते अंतर को समाप्त करने के उद्देश्य से एक समग्र भागीदारी वाले सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** की शुरूआत की गई है। यह योजना बाल लिंग अनुपात में गिरावट को रोकने और उसमें वृद्धि लाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें शिक्षा और सम्मान दिलाने एवं अवसरों में वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कार्यक्रम :

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में राज्य के वैशाली जिले में संचालित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय', 'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' एवं 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' के संयुक्त प्रायोजन में महिला विकास निगम, बिहार (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों (आंगनबाड़ी केन्द्र, पंचायत भवन, आदि) पर 'गुड्डा–गुड्डी बोर्ड' के द्वारा जन्म से संबंधित बालक–बालिका आंकड़ों को दर्शाया जा रहा है एवं जन्म के समय लिंग अनुपात के विवरण को प्रचारित किय जायेगा।

कार्यक्रम का लक्ष्य :

- बाल लिंग के अनुपात में सुधार लाना।
- बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना।
- बालिका– शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

कार्यक्रम का उद्देश्य :

- **जेंडर विरोधी लिंग चयनित गर्भ समापन का निवारण :** मौजुदा कानूनी प्रावधानों और विधायिकाओं को लक्षित कर लागू करते हुए अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act, 1994) को सख्ती से लागू करना।
- **बालिका की उत्तरजीविता और संरक्षण को सुनिश्चित करना :** संविधान के अनुच्छेद 21 में 'जीवन के संरक्षण और स्वतंत्रता' की गारंटी दी गई है। पारिवारिक एवं सामाजिक उपेक्षा का शिकार होने के कारण बालिकाएं स्वास्थ्य एवं पोषण देखरेख से वंचित होकर अल्पायु का शिकार होती है। पितृसत्तात्मक सोच को समाप्त कर बेटियों को बेहतर पोषण एवं स्वास्थ्य के हक को सुनिश्चित कराना।
- **बालिका शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना :** शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालिका शिक्षा को सहज उपलब्ध कराना और सतत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवन में निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर निर्णयन में भागीदारी की सुनिश्चित करना।

समुदाय के स्तर पर की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां :

- कन्या के जन्म पर खुशी और उत्सव मनाना।
- 'बेटी भी अपनी संतान है' इस मानसिकता को मजबूती प्रदान करना।
- लड़कें और लड़कियों में समानता की भावना को बढ़ावा देना।
- बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का विरोध करना।
- बच्ची को स्कूल में दाखिल करवाना और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करना।
- जेंडर रूढ़ीवादी सोच के विरूद्ध वातावरण बनाना।
- लिंग चयन की किसी भी घटना को सूचित कर उस पर रोक लगवाना।
- महिलाओं एवं बेटियों के लिए सुरक्षित एवं हिंसा–मुक्त वातावरण बनाने के लिए आवाज उठाना।
- बेटियों को सम्पत्ति का अधिकार दिलाने हेतु सामाजिक वातावरण तैयार करना।